विश्व पर्यावरण दिवस

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण की रक्षा हेतु दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) मनाया जाता है।

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1972 में खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों और उसके बढ़ते दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये की गई थी। वर्तमान में यह प्रदूषण की समस्या पर चर्चा करने के लिये एक वैश्विक मंच बन गया है तथा 100 से अधिक देशों में इसका आयोजन किया जाता है।
- इस बार पर्यावरण दिवस की थीम **"वायु प्रदूषण" (Air Pollution) है तथा इसका वैश्विक मेज़बान चीन** है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भारत ने '**बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन**' (Beat Plastic Pollution) थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी की थी।
- सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में #SelfiewithSapling नाम से एक अभियान शुरू किया है तथा लोगों से एक पौधा लगाने और सोशल मीडिया पर इसके साथ एक सेल्फी पोस्ट करने का आग्रह किया गया है।

वायु प्रदूषण (Air Pollution)

- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 [Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981] 'वायु प्रदूषक' को वातावरण में मौजूद किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है, जो मनुष्य या अन्य जीवित प्राणियों या पौधों या संपत्ति या वातावरण के लिये हानिकारक हो सकता है।
- वायु प्रदूषण हार्ट अटैक अथवा हृदयघात के कारण होनी वाली मौतों में से एक चौथाई मौतों तथा स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियों, फेफड़ों के कैंसर के कारण होने वाली कुल मौतों में से एक तिहाई के लिये ज़िम्मेदार है। वायु प्रदूषण जलवायु को भी प्रमुखता से प्रभावित करता है, जिसका दुष्प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी की कार्यप्रणाली पर परिलक्षित होता है।
- दुनिया भर में लगभग 92 प्रतिशत लोग दूषित हवा में सांस लेने को विवश है। वायु प्रदूषण के कारण हर साल स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 5 ट्रिलियन डॉलर का बोझ पड़ता है।
- सतही ओज़ोन प्रदूषण (Ground-level ozone pollution) के कारण वर्ष 2030 तक फसलों की पैदावार लगभग 26 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
- हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) का प्रारूप तैयार कर इसे लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने के अलावा वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन करना है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

Air (Prevention and Control of Pollution) Act

- वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में संसद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम लागू किया गया।
- अधिनियम में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) की स्थापना और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards-SPCB) को वायु गुणवत्ता में सुधार नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देने का प्रावधान किया गया है।
- CPCB वायु की गुणवत्ता के लिये मानक भी तय करता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

और पढ़ें.....

वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य

वायु प्रदूषण से निपटने के लिये भारत की नई रणनीति

[वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर तथा उससे उत्पन्न चिंताएँ]

[ब्रीद: वायु प्रदूषण से निपटने के लिये एक कार्य योजना]

[आसान नहीं धरती को वायु प्रदूषण से मुक्त कराना]

[2024 तक वायु प्रदूषण को 20% तक कम करने का लक्ष्य]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/world-environment-day-1